

Shagun

Jagatpura, Jaipur

प्रधानमंत्री जन आवास योजना निर्देशानुसार

CLP					
श्रेणी	साइज़	पंजी0 राशि	दर	आय	आवंटन होने पर
EWS	1 BHK (345 - 440 वर्ग फुट सुपर बिल्टअप एरिया लगभग)	50,000/-	9.99	3.00 लाख रुपये तक	50,000/-
LIG	2 BHK (502 - 615 वर्ग फुट सुपर बिल्टअप एरिया लगभग)	65,000/-	13.50	3.00 लाख रुपये से अधिक तथा 6.00 लाख रुपये तक	70,000/-
SUBVENTION					
श्रेणी	साइज़	पंजी0 राशि	दर	आय	आवंटन होने पर
EWS	1 BHK (345 - 440 वर्ग फुट सुपर बिल्टअप एरिया लगभग)	60,000/-	11.63	3.00 लाख रुपये तक	65,000/-
LIG	2 BHK (502 - 615 वर्ग फुट सुपर बिल्टअप एरिया लगभग)	80,000/-	16.00	3.00 लाख रुपये से अधिक तथा 6.00 लाख रुपये तक	80,000/-

ऋण - बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90% तक ऋण मिल सकता है।

सब्सिडी - ऋण आधारित सब्सिडी सीधे ऋणी के खाते में केंद्र सरकार द्वारा प्रेषित करने पर जमा हो जायेगी।

आवंटन - आवासों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

योग्यता

1. आवेदक की आयु आवेदन भरने की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
2. आवेदक भारत का नागरिक हो तथा राजस्थान राज्य में निवास कर रहा हो।
3. परिवार की वार्षिक आय

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS)- 3,00,000/- रुपये तक

अल्प आय वर्ग (LIG) - 3,00,001/- से 6,00,000/- रुपये तक